



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2016/फाल्गुन 27, 1937

No. 173]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2016/PHALGUNA 27, 1937

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2016

सा.का.नि. 315(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 643 (अ) तारीख 2 मई, 2005 के माध्यम से प्रकाशित अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा संघ क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया गया था;

और गोवा राज्य सरकार ने उक्त संयुक्त आयोग में जुड़ने के लिए सम्मति जताई है और इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 83 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को प्राधिकृत किया है और भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड(ii) में तारीख 30 मई, 2008 की संख्या का.आ. 1271(अ) के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने उक्त संयुक्त आयोग में जुड़ने के लिए गोवा राज्य को सुगम बनाया है।

अतः अब केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 103 और 106 और धारा 180 की उपधारा (2) के खंड (छ) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (निधि का गठन और उपयोजन की रीति और बजट तैयार करने के लिए प्रारूप और समय) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

- (ख) "लेखांकन अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए संयुक्त आयोग द्वारा लेखा तैयार किए जाएंगे और वित्तीय वर्ष के साथ समवर्ती होगी;
- (ग) "बजट" से अधिनियम की धारा 106 के उपाबंधों के अनुसरण में संयुक्त आयोग द्वारा तैयार की गई प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण अभिप्रेत है;
- (घ) "अध्यक्ष" से संयुक्त आयोग के अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ङ) "आहरण और संवितरण अधिकारी" से आयोग द्वारा ऐसे अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है जो संयुक्त आयोग निमित्त आहरण करे और भुगतान करे;
- (च) "वित्तीय वर्ष" से वह अवधि अभिप्रेत है जो वर्ष के 01 अप्रैल से आरंभ होकर उत्तरोत्तर वर्ष के 31 मार्च तक बारह कैलेण्डर मासों से अनधिक हो;
- (छ) "प्ररूप" से इन नियमों से जुड़े उपाबंध अभिप्रेत है;
- (ज) "निधि" से गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निधि के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (झ) "संयुक्त आयोग" से अधिनियम की धारा 83 के अधीन गठित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (ञ) "सदस्य" से संयुक्त आयोग का सदस्य अभिप्रेत है;
- (ट) "भागीदार राज्य" से गोवा राज्य अभिप्रेत है;
- (ठ) "भागीदार संघ राज्य क्षेत्र" से दिल्ली को छोड़कर, कोई भी संघ शासित क्षेत्र अभिप्रेत है; और
- (ड) "सचिव" से संयुक्त आयोग का सचिव अभिप्रेत है।

(2) उन सभी शब्द और अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त है एवं परिभाषित नहीं की गई है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में है।

3. निधि का गठन – (1) केंद्रीय सरकार गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निधि के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग नामक निधि का गठन करती है।

(2) निधि भारतीय लोक लेखा के अधीन खोली जाएगी और यह एक व्यापगत न होने वाला और ब्याज रहित लेखा होगा।

(3) इस निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होगा-

- (i) अधिनियम की धारा 102 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा संयुक्त आयोग को दिया गया कोई अनुदान और ऋण तथा भागीदार राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त आयोग को दिया गया कोई अनुदान और ऋण;
- (ii) अधिनियम के अधीन संयुक्त आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस;
- (iii) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अन्य स्रोतों से संयुक्त आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियां।

4. निधि का उपयोजन निम्नलिखित को पूरा करने के लिए किया जाएगा -

(क) संयुक्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) अधिनियम की धारा 86 के अधीन संयुक्त आयोग के अपने कृत्यों के निर्वहन में व्यय;

(ग) अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और उसके प्रयोजनों के लिए व्यय;

5. निधि से रकम का जारी किया जाना- (1) संयुक्त आयोग किसी वित्तीय वर्ष में अपने वार्षिक बजट के संबंध में निधि से रकम जारी करने की दो बार अप्रैल और सितंबर मास में मांग करेगा और संयुक्त आयोग से ऐसी अध्यक्षता के प्राप्त होने पर-

(क) केंद्रीय सरकार निधि में विद्युत मंत्रालय के वार्षिक बजट में संसद द्वारा संयुक्त आयोग के लिए अनुमोदित अनुदानों और ऋणों की रकम के समुचित भाग को अंतरित करेगी;

(ख) भागीदार राज्य सरकार निधि में संबंधित भागीदार राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त आयोग अनुमोदित के लिए अनुदानों और ऋणों को अंतरित करेगी;

(ग) केंद्रीय सरकार अपने वेतन और लेखा कार्यालय के माध्यम से पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा संयुक्त आयोग को निधि से यथा अध्यक्षित रकम साथ-साथ जारी करेगी;

(2) संयुक्त आयोग, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (लेखा और अभिलेखों के वार्षिक विवरण प्ररूप) नियम, 2015 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के उपाबंधों के अनुसार अनुदानों और ऋणों के उचित लेखे और अन्य अभिलेखों को रखेगा।

(3) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संयुक्त आयोग आरंभिक अधिशेष, निधि से प्राप्त रकम (अनुदानों और ऋणों की रकम सहित) और उपयोजित और अनुपयोजित अधिशेष का उसमें कथन करते हुए एक उपयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

6. निधि का उपयोजन करने की रीति, बैंक खाते का खोला जाना और बैंकों से निधियों का आहरण - (1) अधिनियम की धारा 86 के अधीन संयुक्त आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में और अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित व्यय करेगा।

(2) पूर्ण आयोग के विनिश्चय के पश्चात संयुक्त आयोग किसी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक में निधि के लिए मुख्य खाता खोलेगा और उसका रख-रखाव करेगा और जैसा कि संयुक्त आयोग उपयुक्त समझे, ऐसे बैंकों की अन्य शाखाओं में सहायक खातों का रख-रखाव करेगा, नामनिर्दिष्ट बैंक या बैंकों में उनकी जानकारी और अभिलेखों के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में अपने दो अधिकारियों के हस्ताक्षर के नमूने उपलब्ध कराएगा।

(3) नामनिर्दिष्ट बैंक (बैंकों) संयुक्त आयोग को दैनिक संदाय और प्राप्ति सूची प्रस्तुत करेगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि संदाय सूची में उपदिशित चैक ऐसे हैं जो संयुक्त आयोग द्वारा जारी किए गए हैं और बैंकों के साथ प्रत्येक संव्यवहार का समाधान करेगा।

(4)

(क) अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर नाम निर्दिष्ट किए गए संयुक्त आयोग के आहरण और संवितरण अधिकारी जो उप सचिव स्तर के नीचे का न हो, के द्वारा निधि प्रचालित की जाएगी।

(ख) आहरण और संवितरण अधिकारी और आयोग द्वारा अभिहित एक अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैक के प्रस्तुत करने के पश्चात ही बैंक खाते से आहरण किया जाएगा।

(ग) आहरण और संवितरण अधिकारी संयुक्त आयोग निमित्त रसीदों और भुगतानों के समुचित संव्यवहार की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(घ) आहरण और संवितरण अधिकारी, प्रत्यायित बैंकों में जमा किए गए चैकों अथवा डिमांड ड्राफ्ट की निर्दिष्ट राशि जो संयुक्त आयोग के खाते में समय पर जमा की जा चुकी है और उनके साथ रसीदों और भुगतान किए गए खातों से मिलान भी किया गया है, को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

7. बजट – (1) संयुक्त आयोग अपना बजट तैयार करेगा जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आयोग की प्राक्कलित प्राप्ति और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होगा।

(2) संयुक्त आयोग द्वारा प्रति वर्ष सितंबर के अंत तक आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तैयार किया जाएगा और अधिनियम की धारा 106 के अनुसार इसकी अनुमानित प्राप्तियों को ध्यान में रखने के पश्चात केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) केंद्रीय सरकार, संयुक्त आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवश्यकताओं को सम्यक रूप से ध्यान में रखने के पश्चात संसद द्वारा किए गए विनियोग के पश्चात संयुक्त आयोग को आवश्यकतानुसार ऐसी राशि का अनुदान और ऋण दे सकती है।

(4) उपाबंध-1 पर दिए गए रूप विधान में प्राक्कलित प्राप्ति और प्ररूप-2 में अंतिम अनुदान का ब्यौरा देते हुए संयुक्त आयोग के बजट में चालू वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन और अगले वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन सम्मिलित होगा और क्रमशः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर और 15 जनवरी तक उन्हें केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

8. लेखे – (1) गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लेखों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार निधि के लेखों का रख-रखाव किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष, वित्त को देखने वाले एक सदस्य और आयोग के सचिव द्वारा संयुक्त आयोग के खाते को अधिप्रमाणित किया जाएगा।

9. लेखाओं की संपरीक्षा – (1) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संयुक्त आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संयुक्त आयोग के लेखे, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ (संयुक्त आयोग के प्रचालन के प्रारंभिक पाँच वर्षों के लिए) और भागीदार राज्य सरकारों को (संयुक्त आयोग के प्रचालन के छठे वर्ष और उसके आगे से) संयुक्त आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार को संसद के यथास्थिति प्रत्येक सदन और भागीदार राज्य विधान-मंडल के समक्ष संपरीक्षा रिपोर्ट को रखने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे।

10. शक्तियों का प्रत्यायोजन – (1) संयुक्त आयोग के अध्यक्ष को, निम्नलिखित विषयों को छोड़कर वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम 1978 के नियम 13, साधारण वित्तीय नियम, 2005 और साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के साथ पठित अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में दी गई मदों से संबंधित केंद्रीय सरकार के किसी विभाग को दी गई शक्तियां सम्मिलित होंगी अर्थात्-

(i) पदों का सृजन;

(ii) एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में निधियों का पुनःविनियोग;

(iii) यानों का क्रय;

(iv) हानि को बट्टे खाते में डालना;

(v) विदेश में संगोष्ठियों, सम्मेलनों या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आयोग के किसी अधिकारी को अनुज्ञा देना;

परंतु इन शक्तियों का प्रयोग वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियम, 1978 और अन्य साधारण नियमों में अंतर्विष्ट साधारण निबंधनों और शर्तों और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अध्वधीन होगा।

(2) संयुक्त आयोग विभिन्न व्ययों की मंजूरी और संयुक्त आयोग, संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सचिव के बीच शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए विस्तृत प्रक्रिया को अधिकथित करेगा।

प्ररूप- I**(चालू वर्ष) के पुनरीक्षित प्राक्कलन****(अगले वर्ष) के बजट प्राक्कलन****[नियम 7(4) देखें]**

| लेखा शीर्ष | पिछले दो वर्षों के वास्तविक | | बजट आबंटन | प्रथम 6 मासों के वास्तविक (पूर्ववर्ती दो वर्ष और अंतिम वर्ष) | | | पिछले छः मासों के लिए वास्तविक (पूर्ववर्ती 2 वर्ष) | |
|------------|-----------------------------|-----|-----------|--|-----|-----|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

| पिछले 6 मासों का प्राक्कलन (अंतिम वर्ष) | कुल पुनरीक्षित प्राक्कलन | बजट प्राक्कलन | आबंटन और पुनरीक्षित प्राक्कलन के बीच अंतर (11-14) |
|---|--------------------------|---------------|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |

| (बजट प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन) के बीच अंतर (12-11) | अंतर के कारण |
|---|--------------|
| (14) | (15) |

टिप्पण 1. लेखा शीर्ष परिशिष्ट क सूची के अनुसार होंगे।

टिप्पण 2. बजट उपबंधों की परिशिष्ट ख पर यथा सूचीबद्ध विस्तृत ज्ञापन के साथ स्पष्ट किया जाएगा।

प्ररूप- II**अंतिम अनुदान विवरण (वित्तीय वर्ष)****[नियम 7(4) देखें]**

| लेखा शीर्ष | प्राप्त पुनरीक्षित आबंटन | प्रथम दस मासों के वास्तविक | पिछले दो मास की अपेक्षा | कुल अंतिम अनुदान | शुद्ध बचत/आधिक्य | टिप्पणियां |
|------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

टिप्पण 1. लेखा शीर्ष परिशिष्ट क पर सूची के अनुसार होंगे।

टिप्पण 2. बजट उपबंधों को परिशिष्ट ख पर यथासूचीबद्ध विस्तृत ज्ञापन के साथ स्पष्ट किया जाएगा।

[फा. सं. 47/2/2010-आर एंड आर (ii)]

ज्योति अरोड़ा, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-क

परिशिष्ट-क ब्यौरेवार लेखा शीर्ष (वर्णन सहित) जिसके अधीन संयुक्त आयोग बजट विवरणों और उसके स्पष्टकारी ज्ञापन प्रस्तुत करेगा।

वर्णन

कूट

राजस्व

2. फीस और प्रभार
 - 2.1 फीस
 - 2.2 प्रभार
 - 2.3 जुमाने
- योग**
- 2.4 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
- कुल योग**
- 3. अनुदान**
 - 3.1 सरकार से
 - 3.2 अन्य से
- योग**
- 4. दान**
- 5. संगोष्ठियां और सम्मेलन**
- 6. प्रकाशनों का विक्रय**
- 7. विनिधानों पर आय और निक्षेप**
 - 7.1 विनिधानों पर आय
 - 7.2 निक्षेपों पर आय
- 8. उधार**
 - 8.1 सरकार से
 - 8.2 अन्य से (विनिर्दिष्ट करें)
- 9. आस्तियों का विक्रय**
- 10. विनिधानों का विक्रय**
- 11. वेतन बिलों से बसूलियां**
 - 11.1 उधारों और अग्रिमों की मूल रकम
 - 11.2 उधारों और अग्रिमों पर ब्याज

12. प्रकीर्ण आय

- 12.1 आस्तियों के विक्रय पर अभिलाभ
- 12.2 कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

व्यय**13. अध्यक्ष और सदस्य**

- 13.1 वेतन और भत्ते
- 13.2 अन्य फायदे
- 13.3 यात्रा व्यय

13.3.1 विदेश**13.3.2 देशी****14. अधिकारी**

- 14.1 वेतन और भत्ते
- 14.2 सेवानिवृत्ति फायदे
- 14.3 अन्य फायदे
- 14.4 यात्रा व्यय
 - 14.4.1 विदेश
 - 14.4.2 घरेलू

15. कर्मचारिवृंद

- 15.1 वेतन और भत्ते
- 15.2 सेवानिवृत्ति फायदे
- 15.3 अन्य फायदे
- 15.4 यात्रा व्यय
 - 15.4.1 विदेश
 - 15.4.2 घरेलू

| | | | |
|------|-------------------------|--------|-------------------------------------|
| 16. | वाहन-भाड़ा | 32. | प्रतिभूति निक्षेप |
| 17. | मजदूरी | 33. | उधार और अग्रिम |
| 18. | अतिकाल | 33.1 | कर्मचारियों को |
| 19. | मानदेय | 33.1.1 | ब्याज सहित |
| 20. | अन्य कार्यालय व्यय | 33.1.2 | ब्याज रहित |
| 21. | अनुसंधान परिव्यय | 33.2 | प्रदायकर्ताओं और ठेकेदारों को |
| 22. | परामर्श फीस | 33.3 | अन्य (विनिर्दिष्ट करें) |
| 23. | संगोष्ठियां और सम्मेलन | 34. | उधारों का प्रतिसंदाय |
| 24. | संयुक्त आयोग के प्रकाशन | 35. | अन्य |
| 25. | किराया और कर | 35.1 | छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय |
| 26. | उधारों पर ब्याज | 35.2 | संपरीक्षा फीस |
| 27. | प्रवर्तन संबंधी व्यय | 35.3 | प्रकीर्ण |
| 28. | सदस्यता फीस | 36. | वर्णन |
| 29. | अभिदान | 37. | आस्तियों के विक्रय पर हानि |
| 30. | स्थिर आस्तियों का क्रय | 38. | बट्टे खाते में डाले गए डूबंत ऋण |
| 31. | विनिधान और निक्षेप | 39. | डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध |
| 31.1 | विनिधान | | योग |
| 31.2 | निक्षेप | | |

परिशिष्ट- ख**गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त आयोग के पुनरीक्षित प्राक्कलन/बजट प्राक्कलन का स्पष्टीकरण ज्ञापन**

- (1) पूर्ववर्ती वर्ष में वास्तविक स्थापन पद संख्या और उसकी लागत सहित प्राक्कलन में उसके लिए चाहे गए उपबंध सहित स्थापन के श्रेणीवार ब्यौरे दर्शित करने वाला कथन।
- (2) मूल लागत, पुनरीक्षण, यदि कोई हो, को उपदर्शित करते हुए 5 लाख से अधिक की लागत वाली एकल परियोजनाओं/परामर्शों के प्राक्कलन और बजट अनुदानों में परियोजना के लिए चाहे गए उपबंध।
- (3) बजट/पुनरीक्षित प्राक्कलनों में विदेशी मुद्रा घटक के ब्यौरे।
- (4) बजट वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के प्राक्कलन।
- (5) बजट वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संयुक्त आयोग के वित्तीय परिणामों को दर्शित करने वाला कथन।

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2016.

G.S.R. 315(E).—Whereas the Joint Electricity Regulatory Commission for Union territories was constituted by the Central Government by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O.643(E) dated the 2nd May, 2005;

And whereas, the State Government of Goa agreed to join the said Joint Commission and authorised the Central Government in this behalf under section 83 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and the Central Government by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O.1271(E), dated the 30th May, 2008 has facilitated the State of Goa to join the said Joint Commission;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of powers conferred by sections 103 and 106 and clauses (g) and (j) of sub-section (2) of section 180 of the said Act, and in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories (Constitution and Manner of Application of Fund, Form and Time for Preparation of Budget) Rules, 2016.

(2) **They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.**

2. Definitions.- (1) In these rules unless the context otherwise requires, –

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) “accounting period” means the period for which the accounts to be prepared by the Joint Commission and shall be concurrent with the financial year;
- (c) “budget” means the statement of estimated income and expenditure of the Joint Commission prepared in accordance with the provisions of section 106 of the Act;
- (d) “Chairperson” means the Chairperson of the Joint Commission;
- (e) “Drawing and Disbursing Officer” means an officer designated as such by the Commission to draw and make payments on behalf of the Joint Commission;
- (f) “financial year” means a period not exceeding twelve calendar months commencing on the 1st day of April of a year and ending on the 31st day of March of the successive year;
- (g) “Form” means a Form annexed to these rules;
- (h) “Fund” means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories Fund;
- (i) “Joint Commission” means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories, constituted under section 83 of the Act;
- (j) “Member” means a member of Joint Commission;
- (k) “Participating State” means the State of Goa ;
- (l) “Participating Union Territory” means any Union territory, except Delhi; and
- (m) “Secretary” means Secretary of Joint Commission.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Constitution of Fund.- (1) The Central Government hereby constitutes a Fund to be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories Fund.

(2) The Fund shall be opened under the Public Account of India and this shall be a non-lapsable and non-interest bearing account.

- (3) The Fund shall comprise of –
- (i) any grants and loans made to the Joint Commission by the Central Government and any grants and loans made to the Joint Commission by the participating State Government under section 102 of the Act;
 - (ii) all fees received by the Joint Commission under the Act;
 - (iii) all sums received by the Joint Commission from other sources as may be decided upon by the Central Government from time to time.
4. The Fund shall be applied for meeting the –
- (a) salary, allowances and other remuneration of the Chairperson, Members, Secretary, officers and other employees of the Joint Commission;
 - (b) expenses of the Joint Commission in discharge of its functions under section 86 of the Act;
 - (c) expenses on objects and for purposes authorised by the Act.
- 5. Release of amount from Fund.-** (1) The Joint Commission shall seek release of amount from the Fund against its annual budget twice, in the month of April and September, in a financial year, and upon receiving such a requisition from the Joint Commission, -
- (a) the Central Government shall transfer the appropriate part of the sums of grants and loans for the Joint Commission approved by the Parliament in the annual budget of the Ministry of Power to the Fund;
 - (b) the participating State Government shall transfer the sums of grants and loans for the Joint Commission approved by the participating State Legislature to the Fund;
 - (c) the Central Government shall, simultaneously, release the amount as requisitioned from the Fund to the Joint Commission by account payee cheque through its pay and accounts office.
- (2) The Joint Commission shall maintain proper accounts and other records of the grants and loans in accordance with the provisions of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union territories (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015.
- (3) At the close of financial year, the Joint Commission shall furnish a utilisation certificate stating therein the opening balance, amount (including of grants and loans) received from the Fund and utilised and the balance remaining unutilised.
- 6. Manner of applying funds, opening of bank account and drawing of funds from banks.-** (1) The Joint Commission shall meet expenses required in connection with the discharge of its functions under section 86 of the Act and also for meeting objects and purposes authorised by the Act.
- (2) The Joint Commission shall, after taking a decision of the full Commission to open the main account of the Fund to be maintained in a nationalised commercial bank, and subsidiary accounts to be maintained at such other branches of such banks as the said Commission considers appropriate, make available the specimen signatures of two of its officers to the authorised signatory to the nominated bank or banks for their information and record.
- (3) The nominated bank(s) shall furnish daily payments and receipts scrolls to the Joint Commission which will ensure that the cheques appearing in the payment scrolls are those issued by the Joint Commission and reconcile each transaction with the banks.
- (4)
- (a) The Drawing and Disbursing Officer, who shall be not below the rank of Deputy Secretary, as may be designated by the Chairperson from time to time, shall operate the Fund of the Joint Commission.
 - (b) Withdrawal from the bank account shall be made only on presentation of cheque signed by the Drawing and Disbursing Officer and one other officer designated by the Commission.
 - (c) The Drawing and Disbursing Officer shall be responsible for monitoring the proper transactions of receipts and payments on behalf of the Joint Commission.
 - (d) The Drawing and Disbursing Officer shall be responsible to ensure that the amount specified in cheques or demand drafts deposited in the accredited banks have been timely credited in the accounts of the Joint Commission and shall also reconcile the receipts and payments accounts with them.
- 7. Budget.-** (1) The Joint Commission shall prepare its budget which shall be the annual financial statement of the estimated receipts and expenditure of the Commission for the ensuing financial year.

(2) The budget for the ensuing financial year shall be prepared by the Joint Commission by the end of September every year and forwarded to the Central Government, after taking into account its estimated receipts, in accordance with section 106 of the Act.

(3) The Central Government may, after due appropriation made by the Parliament, make to the Joint Commission grants and loans of such sums of money as considers necessary, after having due regard to the requirement as communicated by the Joint Commission.

(4) The budget of the Joint Commission shall include the revised estimates of the current year and the budget estimates for the next year, giving details of estimated receipts and expenditure in Form-I and final grant in Form-II and submit them to the Central Government by the 30th day of September and the 15th day of January of each financial year, respectively.

8. Accounts.- (1) The accounts of the Fund shall be maintained in accordance with the provisions of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules 2015.

(2) The accounts of the Joint Commission shall be authenticated by the Chairperson, one Member dealing with the finance and the Secretary of the Commission.

9. Audit of accounts .- (1) The accounts of the Joint Commission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him.

(2) The Joint Commission shall forward its accounts annually as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the report of the audit thereon, to the Central Government and the participating State Government to enable the Central Government and the participating State Government to lay the accounts and the report of the audit before each House of Parliament and the participating State Legislature, as the case may be.

10. Delegation of powers .- (1) The Chairperson of the Joint Commission shall have the same powers as are conferred on a Department of the Central Government relating to the matters specified in Schedules V and VI read with rule 13 of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, the General Financial Rules, 2005 and the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, except in respect of the following, namely:—

- (i) creation of posts;
- (ii) re-appropriation of funds from one head to another;
- (iii) purchase of vehicles;
- (iv) write off of loss;
- (v) permitting any officer of the Joint Commission to participate in seminars, conferences or training programmes abroad:

Provided that the exercise of these powers shall be subject to the general restrictions and conditions contained in the Delegation of Financial Powers Rules, 1978 and other general rules and orders issued by the Central Government from time to time.

(2) The Joint Commission shall lay down the detailed procedure for sanction of various expenditure and delegation of power among the Joint Commission, Chairman and Secretary of the Joint Commission.

FORM-I

[see rule 7(4)]

Revised Estimates of (Current Year)/

Budget Estimates of (Next Year)

| Head of account | Actuals last two Years | | Budget allotment | Actuals of first six months (previous two years and financial year) | | | Actuals for the last six months (previous two years) | |
|-----------------|------------------------|-----|------------------|---|-----|-----|--|-----|
| | (2) | (3) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

| | | | |
|--|------------------------|-----------------|---|
| Estimate last six months (financial year) | Total revised estimate | Budget estimate | Difference between allotment and revised estimates (11-4) |
| (10) | (11) | (12) | (13) |

| | |
|--|-----------------------|
| Difference between (budget estimate and revised estimate) (12-11) | Reasons for variation |
| (14) | (15) |

Note 1.— Heads of account shall be as per list at Appendix A

Note 2.— Budgetary provisions shall be explained with detailed memoranda as listed at Appendix B.

FORM-II

[see rule 7(4)]

Final Grant Statement (Financial Year)

| Head of account | Revised allotment received | Actuals of first ten months | Requirement of last two months | Total final grant | Net savings/ excess | Remarks |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Note 1.— Heads of account shall be as per list at Appendix A.

Note 2.— **Budgetary provisions shall be explained with detailed memoranda as listed at Appendix B.**

[F. No. 47/2/2010-R&R(ii)]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

Appendix A

Detailed heads of account (with description) under which Joint Commission shall furnish budget statements and explanatory memoranda thereto

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|---|
| A/c | Description | 7 | Income on investments and deposits |
| Code | | 7.1 | Income on Investments |
| | | 7.2 | Income on Deposits |
| Revenue | | 8 | Loans |
| 2. Fee and Charges | | 8.1 | From Government |
| 2.1 Fee | | 8.2 | From Others (specify) |
| 2.2 Charges | | 9 | Sale of assets |
| 2.3 Fines | | 10 | Sale of investments |
| Total | | 11 | Recoveries from pay bills |
| 2.4 Others (Specify) | | 11.1 | Principal amount of loans and advances |
| Grand total | | 11.2 | Interest on loans and advances |
| 3 Grants | | 12 | Miscellaneous Income |
| 3.4 From Government | | 12.1 | Gain on sale of assets |
| 3.5 From others | | 12.2 | Any others (specify) |
| Total | | | |
| 4 Gifts | | | Expenditure |
| 5 Seminars and conferences | | 13. | Chairperson and Members |
| 6 Sales of publications | | 13.1 | Pay and allowances |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 13.2 | Other benefits | 25 | Rent and taxes |
| 13.3 | Travelling expenses | 26 | Interest on loans |
| 13.3.1 | Overseas | 27 | Promotional Expenses |
| 13.3.2 | Domestic | 28 | Membership fee |
| 14. | Officers | 29 | Subscription |
| 14.1 | Pay and allowances | 30 | Purchase of fixed assets |
| 14.2 | Retirement benefits | 31 | Investments and deposits |
| 14.3 | Other benefits | 31.1 | Investments |
| 14.4 | Travelling expenses | 31.2 | Deposits |
| 14.4.1 | Overseas | 32 | Security deposits |
| 14.4.2 | Domestic | 33 | Loans and advances |
| 15 | Staff | 33.1 | To employees |
| 15.1 | Pay and allowances | 33.1.1 | Bearing interest |
| 15.2 | Retirement benefits | 33.1.2 | Not-bearing interest |
| 15.3 | Other benefits | 33.2 | To Suppliers and contractors |
| 15.4 | Travelling expenses | 33.3 | Others (to specify) |
| 15.4.1 | Overseas | 34 | Repayment of loans |
| 15.4.2 | Domestic | 35 | Others |
| 16 | Hire of conveyance | 35.1 | Leave salary and pension contribution |
| 17 | Wages | 35.2 | Audit fee |
| 18 | Overtime | 35.3 | Miscellaneous |
| 19 | Honorarium | 36 | Depreciation |
| 20 | Other office expenses | 37 | Loss on sale of assets |
| 21 | Expenditure on research | 38 | Bad debt written off |
| 22 | Consultation fee | 39 | Provision for bad & doubtful debts |
| 23 | Seminars and conferences | | Total |
| 24 | Publications of the Joint Commission | | |

Appendix B

**Explanatory Memoranda to RE/BE Statements of
the Joint Commission for the State of Goa and Union Territories**

- (1) Statement showing grade-wise details of establishment with provision sought therefor in the estimates, with actual establishment strength and cost thereof in previous year.
- (2) Estimates of individual projects/consultancies costing over Rs. 5 lakhs indicating original cost, revisions if any and provisions sought for the project in the budget grants.
- (3) Details of Foreign exchange component in the Budget/Revised estimates.
- (4) Estimates of Revenue Receipts in Budget Year and previous year.
- (5) Statement showing financial results of the Joint Commission for the budget year and previous year.